जयपुर-अफेयर के शक में की थी लिव-इन पार्टनर की हत्या

फ्लैट में पड़ा मिला था महिला का शव; गिरफ्तारी से बचने बसों में करता रहा सफर

जयपुर,वेब वार्ता । में लिव-इन पार्टनर की हत्या मामले में पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने शुक्रवार सुबह खुलासा किया है। पुलिस ने फ्लैट में शव छोड़कर भागे आरोपी को भरतपुर से गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार बसों में सफर कर रहा था। पूछताछ में उसने अफेयर के शक में लिव इन पार्टनर की हत्या करना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से और भी पूछताछ कर रही है।

ष्ठष्क्क(साउथ) राजर्षिराज ने बताया- हत्या में आरोपी युगराज सिंह उर्फ युवराज सिंह उर्फ दीपक (27) निवासी चिकसाना भरतपुर को अरेस्ट किया है। वह पिछले करीब एक साल से पत्रकार कॉलोनी रामपुरा की आमोर सोसायटी में रह रहा था।



इसी फ्लैट में वह लिव-इन पार्टनर मोना जाटव (35) के साथ रहकर टिफिन सेंटर चला रहा था। 18 अक्टूबर की देर रात आरोपी युवराज ने लिव-इन में रहने वाली मोना पर किसी भारी चीज से वार कर हत्या की थी।

मोबाइल बंद कर भागा

हत्या करने के बाद 19 अक्टूबर की सुबह करीब 6:30 बजे युवराज फ्लैट में शव छोड़कर भाग निकला। पुलिस से बचने के लिए मोबाइल आरोपी ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस ने उसे भरतपुर के बी.नारायण गेट से गुरुवार देर रात धर-दबोचा।

पुलिस से बचने के लिए वह मोबाइल बंद कर कभी दिल्ली, कभी आगरा तो कभी भरतपुर की बसों में घूमता रहा। वह फरारी काटने के लिए दिल्ली भागने की फिराक में था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने लिव-इन पार्टनर मोना जाटव की हत्या करना कबूल किया है। उसने बताया कि उसे पिछले काफी समय से लिव-इन पार्टनर मोना पर किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने का शक था। दूसरे व्यक्ति से अफेयर होने के शक में उससे बात करने पर झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसने मोना की हत्या कर दी।

जोधपुर में दिन में गर्मी,रात में हल्की ठंड

न्यूनतम गिरकर 20.3 डिग्री आया; जानें शहर में आगे कैसा रहेगा मौसम

जोधपुर,वेब वार्ता । में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। इससे धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि दिन में भी गर्मी का असर बरकरार है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। पिछले तीन दिन में रात के पारे में 3 दिन में 5 डिग्री की गिरावट आई है।

वहीं गुरुवार को अधिकतम तापमान 0.5 डिग्री बढ़कर 37.3 डिग्री पहुंच गया। आगामी दिनों में तापमान कम होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्तूबर तक मौसम साफ बना रहेगा।

गुरुवार को जोधपुर में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। बुधवार को अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

वहीं, मंगलवार को अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री



सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि सोमवार को अधिकतम तापमान 36.4 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा था। ऐसे में पिछले तीन दिन में ही न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। इससे रात को हल्की ठंड होने लगी है लेकिन दिन में गर्मी की तपिश बरकरार है। तापमान में ऐसे रहेगा उतार-चढ़ाव

मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में उतारा-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को तापमान 35 डिग्री तक आ सकता है। वहीं शनिवार के भी इसके स्थिर बने रहने का अनुमान है। 23 से 28 अक्टूबर के दौरान तापमान 35-36 डिग्री के बीच बना रहने की संभावना है। ऐसे में तापमान में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलेगा।

न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक आने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री पर बना रहने की संभावना है। इसके बाद 28 अक्तूबर तक न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री तक बने रहने की संभावना है।

हालांकि 28 अक्तूबर को इसके 19 डिग्री तक आने का अनुमान है। वहीं, तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ने की संभावना है।

हाउसिंग सोसायटी की 7वीं मंजिल से गिरा युवक, मौत



जोधपुर,वेब वार्ता । बाई चौराहे के पास स्थित अरिहंत आंचल सोसायटी में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। शाम करीब 4:45 बजे दीपक चौहान (46) सातवीं मंजिल से गिर गए। इससे उनकी मौत हो गई। वह परिवार के साथ सातवीं मंजिल पर ही रहते थे। वह किन हालातों और कैसे गिरे? इसका अभी पता नहीं चल पाया है। उनके बड़े भाई रितेश चौहान की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है। राजीव गांधी नगर थानाधिकारी रविंद्रपाल सिंह राजपुरोहित ने बताया कि दीपक अपनी पत्नी के साथ सोसायटी के फ्लैट नंबर 703 में रहते थे। हादसे के समय उनकी पत्नी बाहर गई हुई थी। लोग घायल दीपक को एमडीएम अस्पताल ले गए, तब तक उसकी मौत हो गई।

उदयपुर में बदलने लगा मौसम का मिजाज:4 दिन में 4.4 डिग्री गिरा न्यूनतम तापमान, दिन में गर्मी, रात में सर्दी का अहसास

उदयपुर,वेब वार्ता । में दिन में गर्मी, तो शाम ढलते ही रात में सर्दी का अहसास होने लगा है। तस्वीर गुरुवार शाम वल्लभनगर के करणपुर गांव की है, जहां ढलती शाम के साथ मौसम का मिजाज भी बदलता नजर आया। - छ्वद्वठ्ठद्वद्य क्ल्रद्वह्यद्वद्वह्र

उदयपुर में दिन में गर्मी, तो शाम ढलते ही रात में सर्दी का अहसास होने लगा है। तस्वीर गुरुवार शाम वल्लभनगर के करणपुर गांव की है, जहां ढलती शाम के साथ मौसम का मिजाज भी बदलता नजर आया।

उदयपुर में अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। कुछ दिन पहले तक दिन में 36 डिग्री तक पहुंच रहा तापमान अब 33 डिग्री के आसपास आ गया है। वहीं, रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है।

तापमान में बदलाव का असर यह है कि दिन में धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, जबकि रात और सुबह के समय ठंडक का अहसास बढ़ने लगा है।

पिछले सात दिनों के तापमान पर नजर डालें तो 16 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो 22 अक्टूबर को



घटकर 33.1 डिग्री रह गया। यानी छह दिनों में दिन का पारा 2.9 डिग्री नीचे आया।

न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 अक्टूबर को यह 21.8 डिग्री था, जो 22 अक्टूबर को 17.4 डिग्री पर पहुंच गया। इस तरह चार दिनों में रात के तापमान में 4.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

रात के तापमान में उतार-चढ़ाव के बाद गिरावट

डबोक मौसम केंद्र के अनुसार तापमान के आंकड़े बताते हैं कि 16 से 19 अक्टूबर तक दिन का अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री के बीच बना हुआ था। इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हुई। रात के तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

एल एंड टी फाइनेंस ने जयपुर में किया गोल्ड लोन कैंपेन लॉन्च

जयपुर,वेब वार्ता । देश की अग्रणी रिटेल फाइनेंस कंपनियों में से एक, एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड (एलटीएफ) ने राजस्थान के जयपुर में अपने ब्रांड एंबेसडर जसप्रीत बुमराह को शामिल करते हुए 'कोई भी सपना होल्ड मत करो, एल एंड टी फाइनेंस गोल्ड लोन करो' टैगलाइन के साथ तीन नए टीवी विज्ञापन (टीवीसी) पेश किए। इस कैंपेन के माध्यम से एलटीएफ अपने गोल्ड लोन ऑफरिंग्स के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा और व्यक्तियों, सूक्ष्म उद्यमियों तथा परिवारों को अपने निष्क्रिय पड़े सोने की कीमत का लाभ उठाकर अपनी विकास की जरूरतों, आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाएगा।

एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), राजू दोदती ने कहा, 'एल एंड टी फाइनेंस



हमारी लक्ष्य 2031 रणनीति के तहत एक जोखिम-प्रथम, प्रौद्योगिकी-प्रथम, एआई-नेटिव रिटेल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में परिवर्तन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड की मुख्य विपणन अधिकारी (सीएमओ), कविता जगतियानी ने कहा, 'आज के उपभोक्ता आकांक्षी हैं, लेकिन क्रेडिट का उपयोग करते समय वे तेजी से लागत और मूल्य के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। गोल्ड लोन इस स्थिति में बिल्कुल उपयुक्त है, यह पहले से उनके भरोसे में मौजूद संपत्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को पूरा करने का एक सुरक्षित और स्मार्ट तरीका प्रदान करता है।

इस अभियान के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए, एलटीएफ ने जयपुर के विवेक विहार स्थित अहिंसा पार्क और श्याम वाटिका पार्क में पार्क की बेंचों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर उपयोग होने वाले साधनों को गोल्ड ब्रांडिंग के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे स्थानीय स्तर पर ब्रांड की दृश्यता बढ़ रही है। इसके अलावा, एलटीएफ सभी जोन में अधिक आवाजाही वाली शाखाओं को आकर्षक, 360-डिग्री ब्रांडिंग के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित कर रहा है, ताकि लोगों के मन में ब्रांड की गहरी छाप बने।

जरूरतमंदों को करवाया भोजन

झुंझुनूं। लायंस क्लब झुंझुनूं जीवन की 'फूड फॉर हंगर' कार्यक्रम में बीडीके अस्पताल की अन्नपूर्णा रसोई में जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया गया। क्लब सदस्य रीना पूनिया के जन्मदिवस पर इस सेवा से क्लब ने मानव सेवा, परोपकार और सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। क्लब अध्यक्ष डॉ. मुकेश एस. मूंड ने बताया कि जरूरतमंदों को भोजन करवाना मानवता की सेवा है। उन्होंने लॉयन रीना पूनिया के इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में लॉयन रामअवतार सिंह रेपस्वाल, रणधीर सिंह डूडी, निशांत चौधरी सहित क्लब सदस्य उपस्थित रहे।

जयपुर में किडनैप कर युवक से 1.08 लाख लूटे :घर लौटते समय पीछे पड़े बदमाश, गाड़ी से टक्कर मार बाइक से गिराया

जयपुर,वेब वार्ता । में किडनैप कर एक युवक से 1.08 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। रात के समय घर लौटते समय बदमाशों ने उसके पीछे पड़ गए। गाड़ी से टक्कर मारकर बाइक सहित उसे रोड पर गिरा दिया।

मारपीट कर गाड़ी में डालकर रुपए छीनने के बाद बदमाश रोड किनारे फेंक फरार हो गए। शिवदासपुरा थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर गुरुवार शाम स्नद्गक्रदर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

ृस्ढ्ढ रामवतार ने बताया- भांकरोटा के रहने वाले दिनेश कुमार माली (26) के साथ लूट की वारदात हुई। बुधवार देर रात करीब 1 बजे वह चाकसू से बाइक लेकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान चाकसू कट से एक गाड़ी उसके पीछे लग गई।



गाड़ी से बाइक को टक्कर मार गिराया

कुछ दूरी पर अयोध्या नगरी के पास बदमाशों ने अपनी गाड़ी से उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर लगने से बाइक सहित वह रोड पर गिर गया। जिसके बाद गाड़ी से नकाबपोश चार बदमाश नीचे उतरे।

जेब में रखे एक लाख से ज्यादा लूटे

बदमाशों ने मारपीट करते हुए उसकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया। जबरन पकड़कर उसको अपनी गाड़ी में डाल लिया। चलती गाड़ी में उसके साथ मारपीट करते रहे। सुनसान जगह ले जाकर उसकी जेब में रखे 1.08 लाख रुपए छीन लिए।

गाड़ी से फेंककर भागे बदमाश

रुपए लूटने के बाद उसे गाड़ी से नीचे रोड किनारे फेंक बदमाश फरार हो गए। जैसे-तैसे खुद को संभालते हुए मेन रोड पर पहुंचा। राहगीरों की मदद से शिवदासपुरा थाने पहुंचकर गाड़ी सवार नकाबपोश लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

वार्ड 38 में स्वच्छता अभियान के तहत सभापति एवं उपसभापति का सम्मान, जनसमस्याओं पर हुई चर्चा



गंगापुर सिटी, मदन मोहन गर्ग। नगर परिषद की ओर से संचालित स्वच्छता अभियान के तहत वार्ड नंबर 38 में सभापति कृष्ण कुमार गोयल उपसभापति मुजाहिद खान के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का मंच संचालन जय सिंह जादौन ने किया।इस दौरान वार्ड पार्षद सतीश धमोनिया ने सभापति को वार्ड की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। सभापति कृष्ण कुमार गोयल ने आश्वासन दिया कि नगर परिषद के सभी 60 वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जाएंगे। कार्यक्रम में मोहन सिंह, केदार शर्मा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, ज्ञानेश्वर शर्मा, राधा मोहन शर्मा, गिरिराज गुप्ता एवं श्याम सुंदर शर्मा (सेवा वाले) सहित वार्ड के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

पिंकसिटी प्रेस-क्लब के 35वें स्थापना दिवस पर पत्रकारों का सम्मान

जयपुर। पिंकसिटी प्रेस क्लब, जयपुर के 35वें स्थापना दिवस पर शुक्रवार को आयोजित मुख्य समारोह में पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा शामिल हुए।

PUBLIC NOTICE

Adv A.K Wankhede, Dhule

Before The Motor Accidents Claims Tribunal, At Dhule

Exh-21 M.A.C.P.NO 485/2024

Bhushan Santosh Patil -Petitioner
Age 31 Occu-Nill
R/O. Awadhan Tal & Dist. Dhule

V/s

2) Ram Senehi Dwarka Prasad
Age-Adult, Occu - Owner -Respondant
R/o. Dhyklot, Dholpur, Raj P/A-27 Pratap Pur,Tundala, Firozadabad, (Rajasthan) 328001

Whereas the application has been made by the applicants claiming compensation For Rs. 10,00,000/- u/s 166 of M.V.ACT 1988 in respect of an accident of the same specified in sec 166 of the Act against opponent No.1 to 3, including you No 2 the Driver of offending vehicle. You deliberately time to time avoid service of the Notice intentionally.

Therefore you are informed by this legal public Notice that you opp.no.2 yourself or trough advocate without fail shall Remain present before Motor Accidents Claims Tribunal, Dhule Dist Dhule (Maharashtra) in the Court of Hon'ble D.J.4 on 21/11/2026 at about 10:30 am. If you fail on to appear on this date, the tribunal will proceed expartee against you. On the presumption that you have no any contention to make against the award of compensation. Given under my hand and seal of the tribunal this Day of /04/08/2026

Jr. Clerk (Stamp) Suprentendant (Judi) Motor accident claims
Dist.Court Dhule Tribunal Dhule, Dist. Dhule (Maha.)

PUBLIC NOTICE

Adv A.K Wankhede, Dhule

Before The Motor Accidents Claims Tribunal, At Dhule

Exh-21 M.A.C.P.NO 485/2024

Bhushan Santosh Patil -Petitioner
Age 31 Occu-Nill
R/O. Awadhan Tal & Dist. Dhule

V/s

1) Shyamveer Mansing -Respondant
Age-Adult, Occu - Driver
R/o. 21, Pratappur, Tundala, Firozadabad, Tuvdia (Rajasthan) 283204

Exh-20 M.A.C.P.NO 486/2024

Pawan Rajendra Patil
Age 31 Occu-Nill
R/O. Awadhan Tal & Dist. Dhule

V/s

2) Ram Senehi Dwarka Prasad
Age-Adult, Occu - Owner -Respondant
R/o. Dhyklot, Dholpur, Raj P/A-27 Pratap Pur,Tundala, Firozadabad, (Rajasthan) 328001

Whereas the application has been made by the applicants claiming compensation For Rs. 10,00,000/- u/s 166 of M.V.ACT 1988 in respect of an accident of the same specified in sec 166 of the Act against opponent No.1 to 3, including you No 1& 2 the Driver of offending vehicle. You deliberately time to time avoid service of the Notice intentionally.

Therefore you are informed by this legal public Notice that you opp.no.1 & 2 yourself or trough advocate without fail shall Remain present before Motor Accidents Claims Tribunal, Dhule Dist Dhule (Maharashtra) in the Court of Hon'ble D.J.4 on 21/11/2026 at about 10:30 am. If you fail on to appear on this date, the tribunal will proceed expartee against you. On the presumption that you have no any contention to make against the award of compensation. Given under my hand and seal of the tribunal this Day of /04/08/2026

Jr. Clerk (Stamp) Suprentendant (Judi) Motor accident claims
Dist.Court Dhule Tribunal Dhule, Dist. Dhule (Maha.)

निवास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पहले निवास हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)

NIWAS HOUSING FINANCE

रजि. कार्यालय: - ए1, छठी मंजिल, ट्रेड स्टार, अंधेरी, कुर्ला रोड, जे बी नगर, अंधेरी (ई), मुंबई - 400059
ईमेल:-connect@niwashfc.com CIN नंबर:-U65990MH2016PLC271587
संपर्क नंबर:- श्री शहंशाह अली- 7737122870

[परिशिष्ट-IV-A] [नियम 8(6) का परंतुक देखें]

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एनएचएफएल के अधिकृत अधिकारी द्वारा उधारकर्ता(कों) से देय राशि की वसूली हेतु नीचे उल्लेखित सुरक्षित परिसंपत्ति पर कब्जा लेने के बाद, अधोहस्ताक्षरी द्वारा एनएचएफएल को ऑफ़लाइन तथा हमारे बिक्री, विपणन एवं ई-नीलामी सेवा भागीदार, क्रेड रिज़ोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल यानी **credauction.com** पर ऑनलाइन, नीचे वर्णित अचल संपत्ति की खरीद हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

उक्त संपत्ति एनएचएफएल के भौतिक कब्जे में है और इसे ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'', ''जो कुछ भी है'' और ''कोई सहारा नहीं'' के आधार पर बेचा जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: -

उधारकर्ता(ओं) का विवरण	13(2) डिमांड नोटिस की तारीख और रकम	रिज़र्व प्राइस ईएमडी बोली बढ़ाने की राशि	1. ई-नीलामी की तारीख और समय 2. कब्ज़े का प्रकार
LNBHLOHL-12220027681 ब्रांच: भीलवाड़ा उधारकर्त्ता: रमजान खा सह-उधारकर्त्ता: सितारा बानू, शाहरुख खान (गारंटर)	14/10/2025 रुपये 11,66,785 (ग्यारह लाख छियासठ हजार सात सौ पिच्यासी रुपये मात्र) 12 अक्टूबर 2025 तक भुगतान करना होगा। भुगतान होने तक इस पर ब्याज और अन्य शुल्क भी लागू होंगे।	रूपये 13,00,000/- रूपये 1,30,000/- रूपये 10,000/-	1. 30/11/2026 समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 2. 24/11/2026 समय: सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक

प्रॉपर्टी का विवरण: - संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जो श्री रामजन कायमखानी पुत्र श्री शालू खा कायमखानी का पट्टा संख्या 16, जो ग्राम सबलपुरा, ग्राम पंचायत रेडवास, पंचायत समिति कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा-राजस्थान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2700 वर्ग फुट है। निम्नलिखित सीमाएं हैं: पूर्व-मार्ग पप्पू खा, पश्चिम-सार्वजनिक मार्ग, उत्तर-सार्वजनिक मार्ग, दक्षिण-जेतुन/गोरू खा

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें:

1. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया **www.niwashfc.com** पर दिए गए लिंक और हमारे बिक्री एवं विपणन एवं ई-नीलामी सेवा प्रदाता, **Credauction.com, NHFL** की वेबसाइट देखें।
2. बोली प्रपत्र, ईएमडी और केवाईसी के साथ, 29/11/2026 को शाम 5:00 बजे तक जमा करना होगा।
3. ये सभी जानकारी हमारे पोर्टल पर **https://www.niwashfc.com/Auction-Notices** लिंक के अंतर्गत प्रकाशित की गई है।
4. किसी भी पूछताछ, जानकारी और संपत्ति के निरीक्षण, सहायता, प्रक्रिया और ई-नीलामी के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, इच्छुक बोलीदाता हमारे बिक्री एवं विपणन एवं ई-नीलामी सेवा भागीदार के ग्राहक सेवा वितरण (सीएसडी) विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

***नोट: कृपया ध्यान दें कि NHFL सभी उधारकर्ताओं को बिक्री सूचना स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा भेजेगा। यदि किसी भी पक्ष को यह सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो विक्रय सूचना का यह प्रकाशन वैकल्पिक तामील माना जाएगा।**

स्थान:भीलवाड़ा हस्ताक्षर/-
दिनांक:24.10.2026 अधिकृत अधिकारी
निवास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited **पंजी. ऑफिसः 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोनः 011.23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com**
शाखा का पता : प्लॉट नंबर 3, दूसरी मंजिल, स्वरूप कॉलोनी, डीसीएम, अजमेर रोड, शिव ज्ञान हाइट के सामने, जयपुर, राजस्थान 302019

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण अधिनियम के अंतर्गत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुपालन में और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) और नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखित तिथि को मांग नोटिस जारी किए, जिसमें संबंधित उधारकर्ताओं से नोटिस की तिथि/सूचनाओं की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था। उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता/उधारकर्ताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। ऋण लेने वाले व्यक्तियों और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन ऋण समझौते के अनुसार राशि और उस पर लगने वाले ब्याज सहित पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्त्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

ऋण खाता संख्या	ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना दिनांक	बकाया राशि	कब्जे की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
एनएचएल/जेपीआर/0325/1375449 और एचओयू/जेपीआर/0325/1370549 बी.ओ.: जयपुर	राजेंद्र यादव एवं संतोष यादव	06.08.2026	रुपये 61,36,888.57 (इकसठ लाख छत्तीस हजार आठ सौ अट्ठासी रुपये और सत्तावन पैसे मात्र)	19-10-2026 (सांकेतिक)	प्लॉट नंबर 1/सी, टी पिलांट कॉलोनी, टेकेन कालवाड़ रोड, हाथौज, **जयपुर, राजस्थान**-302012

स्थान:- जयपुर, दिनांक:- 24-10-2026 अधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -4-क अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः - 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली -110001 फोनः - 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com

जयपुर शाखाः- पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्लॉट नंबर 3, दूसरी मंजिल, स्वरूप कॉलोनी, डीसीएम, अजमेर रोड, शिव ज्ञान हाइट्स के सामने, जयपुर, राजस्थान-302019

एतदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नबर -ए में निर्दिशित कर्जदार(रों) एवं गारटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नबर-डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नबर-सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएगी। एतदद्वारा कालम नबर -ए में निर्दिशित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तो के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामले यदि कोई, (के)
NHL/JPR/1117/458231, बी. ओ.: जयपुर, माला माथुर/संदीप माथुर	15.01.2025 तक रु. 1201949.67	भौतिक कब्जा	एफएफ फ्लोर, 30, द राइज प्लॉट नंबर 8 बी, सेक्टर-8, प्रताप नगर, टोंक रोड, सांगानेर जयपुर 302033	रु. 963000	रु. 96300	12.11.26	रु. 10,000	02.11.2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 5:30 बजे	13.11.2026 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Uknown Builder Dues

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नबर-के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। **1.** आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नबर-के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(रों) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **3.** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने के मामले में, सपत्ति / सुरक्षित सपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 वेबसाइट- **www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। सपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **अश्वनी कुमार शर्मा, संपर्क नंबर 1800 120 8800,**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थानः- राजस्थान, दिनांकः- 24.10.2026 प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat **पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com**

भिवाड़ी शाखाः-ए-10, पहली मंजिल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाई पास, भिवाड़ी-301019, राजस्थान। **जोधपुर शाखाः**- दूसरी मंजिल, चौधरी भवन, शनिश्चर का थान के पास, चोपासनी रोड, जोधपुर, राजस्थान - 342001। **बीकानेर शाखाः**-बी-46-बी, दूसरी मंजिल, सादुल गंज, बीकानेर-334002.**जयपुर शाखाः**- प्लॉट नंबर 3, दूसरी मंजिल, स्वरूप कॉलोनी, डीसीएम, अजमेर रोड, शिव ज्ञान हाइट के सामने, जयपुर, राजस्थान-302019

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय ।।। की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित अपि सब कर्जदारों/सह-कर्जदार/गारंटरों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता, किश्तों/ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्तु आपके द्वारा मूलधन की किश्तों, ब्याज इत्यादि के भुगतान में की गई चूकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपेक्षित भी है। एतदद्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतन ब्याज तथा अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्याभूत आस्तियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्याभूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिल है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि यदि सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है, तो आप उसके पश्चात प्रत्याभूत आस्ति(यां) छुड़ाने के हकदार नहीं होंगे। आगे, आपके ऊपर, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है।

ऋण खाता सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता	ग्रांटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
HOU/BHI/1020/824773, बी.ओ.: भिवाड़ी	श्री सागर रॉय, श्री/सुश्री समीरन कांति रॉय और सुश्री शिप्रा रॉय **पताः1**- एचएन 2/134, आरएचबी, अलवर, राजस्थान-301019, **पताः2**-राम चौक, अलवर, राजस्थान-301019, **पताः3**-लाइफ स्टाइल जांगड़ा कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल मार्केट के सामने, अलवर, राजस्थान- 301019, **पताः4**- ई-0305,3, टावर सी (एमराल्ड), कृष औरा, खसरा नंबर 518-527, 534-538,543-551, ग्राम सैदपुर, बिवारी, अलवर, वी स्क्वायर मॉल, अलवर, राजस्थान-301407	NA	ई-0305,3, टावर सी (एमराल्ड), कृष औरा, खसरा नंबर 518-527, 534-538, 543-551, ग्राम सैदपुर, बिवारी, अलवर, वी स्क्वायर मॉल, अलवर, राजस्थान- 301407	13.10.2026	**रु.28,48,725.66** (रुपये अट्ठाईस लाख अड़तालीस हजार सात सौ पच्चीस और छियासठ पैसे मात्र)
HOU/JDH/1116/331165, बी.ओ.: जोधपुर	श्री/सुश्री साजिद हुसैन और श्री/सुश्री फिरदोश बानो **पताः1**- रामा की प्याऊ, मंडोर रोड, राजस्थान, भारत, 342001.**पताः2**- बी-248, पाल शिप ग्राम, पाल, राजस्थान, भारत, 342013, **पताः3**- प्लॉट नंबर 513 कशरा नंबर 121 1, ग्राम नांदरी, लक्ष्मण नगर सी बनार रोड, जोधपुर, राजस्थान, 342001.	NA	प्लॉट नंबर 513 कशरा नंबर 121 1, ग्राम नंदरी, लक्ष्मण नगर सी बनार रोड, जोधपुर, राजस्थान, 342001,	13.10.2026	**रु.2956973.81** (रुपये उनतीस लाख छप्पन हजार नौ सौ तिहत्तर और इक्यासी पैसे मात्र)
NHL/BIK/1220/847435,NHL/BIK/0119/630404,बी.ओ.: बीकानेर	श्री पवन पंचारिया, सुश्री मुन्नी देवी और श्री ओमप्रकाश ओमप्रकाश **पताः1**- वार्ड नं 5, कानपुरा बस्ती, नोखा, बीकानेर, राजस्थान, भारत, 334803, **पताः2**- हरि ओम किराणा स्टोर, वार्ड नं 5, कानपुरा बस्ती, नोखा, बीकानेर, राजस्थान, भारत, 334803. **पताः3**- पी.नं-860, वार्ड नं-07, नोखा, राजस्थान-334803,	NA	पी.नं.-860, वार्ड नं.-07, नोखा, राजस्थान-334803,	13.10.2026	**रु.21,34,788.69** (रुपये इक्कीस लाख चौंतीस हजार सात सौ अठासी और उन्हत्तर पैसे मात्र)
NHL/JDH/0715/230291, बी.ओ.: जोधपुर	श्री नारायण सिंह राजपुरोहित और श्री निर्मल सिंह राजपुरोहित **पताः1**- 231, सुंदर नगर, आशीर्वाद बालाजी के पास, राजस्थान-306401. **पताः2**- 4, महावीर कॉम्प्लेक्स, सूरज पोल, राजस्थान-306401. **पताः3**-पी.नं.106, ख.नं.1536/2, चक नं.2, विध्या नगर, बांगुर के पास कॉलेज, जोधपुर, राजस्थान-306401।	NA	पी.नं. 106, ख.नं.1536/2, चक नं. 2, विधिया नगर, बांगुर कॉलेज के पास, जोधपुर, राजस्थान-306401	13.10.2026	**रु.9,52,520.30** (रुपये नौ लाख बावन हजार पांच सौ बीस और तीस पैसे मात्र)
NHL/JPR/1017/435996, बी.ओ.: जयपुर	श्री/सुश्री नवाब सिंह गहलोत, श्री/सुश्री राजपाली देवी और श्री/सुश्री रवि कुमार चौधरी **पताः1**- 89 लक्ष्मी नगर निवारू रोड जोतवाड़ा, जयपुर, राजस्थान, 302012 ।**पताः2**-98 लक्ष्मी नगर प्रथम, निवारू रोड जोतवाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012। **पताः3**-प्लॉट नंबर 89, लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, जयपुर, राजस्थान-302012,	NA	प्लॉट नंबर 89, लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, जयपुर, राजस्थान-302012	13.10.2026	**रु.33,38,489.08** (रुपये तैंतीस लाख अड़तीस हजार चार सौ नवासी और आठ पैसे मात्र)

स्थानः- राजस्थान, दिनांकः- 24.10.2026 प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India एच सी एल 1, दूसरी मंजिल, कैलाश टॉवर, टोंक रोड, गांधी नगर मोड़ के पास, टोंक रोड, जयपुर राजस्थान 302015 PH-0141 2745906 **मांग सूचना-सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत**

निम्नांकित ऋणी/सह-ऋणी/जमानती को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उन्होने बैंक से लिए गए ऋण की किश्तों एवं उसके ब्याज का समय पर भुगतान नहीं किया अतः उनका खाता एन.पी.ए. में वर्गीकृत हो गया हैं। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उनको बैंक रिकॉर्ड के अनुसार उनके अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे जो कि उनके द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के फलस्वरूप पुनः लौटकर आ गए हैं। अतः उनको इस सामान्य नोटिस के द्वारा उक्त अधिनियम के तहत इस बारे में सूचित किया जाता है:-

ऋणी/सह-ऋणी/जमानती का नाम व पता	मांग सूचना की दिनांक एंव बकाया राशि	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण
श्री राहुल सोगानी पुत्र श्री राजेंद्र सोगानी श्रीमती रानी जैन पत्नी श्री राजेंद्र सोगानी, फ्लैट नं. जी-1, प्लॉट नं. 516, वाणी अपार्टमेंट,रानी सती नगर, निर्माण नगर, जयपुर - 302019। फ्लैट नं. डी-524, ब्लॉक-डी, पाँचवीं मंजिल, परी रेजिडेंसी, खसरा नं. 81, 82/1, 83, 95/1, ग्राम चक हरबंशपुरा,तहसील सांगानेर, जिला जयपुर - 302026,80, जनकपुरी प्रथम, इमली वाला फाटक, टोंक रोड,जैन मंदिर के पास, जयपुर - 302015	06.10.2026 रू.9,24,340/- दिनांक 04.10.2026 तक एवं दिनांक 05.10.2026 से आगे का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त NPA DATE 03.10.2026	साम्यिक बंधक संपत्ति जो स्थित फ्लैट नं. डी-524, ब्लॉक-डी, पाँचवीं मंजिल, परी रेजिडेंसी, खसरा नं. 81, 82/1, 83, 95/1, ग्राम चक हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित जो श्री राहुल सोगानी पुत्र श्री राजेंद्र सोगानी एवं श्रीमती रानी जैन पत्नी श्री राजेंद्र सोगानी के नाम से है। क्षेत्रफल कारपेट एरिया 413.50 वर्गफीट। - सुपर बिल्ट-अप एरिया 542.00 वर्गफीट (लगभग)

इस नोटिस के द्वारा उक्त ऋणियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त उधारकर्ताओं को उक्त बकाया राशि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिवस के भीतर पुनर्भुगतान हेतु आगाह किया जाता है। अन्यथा साठ (60) दिवस की समाप्ति के पश्चात सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही की जाएगी। ऋणियों को यह भी सलाह दी जाती हैं कि वे बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता / प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर 13(2) के अन्तर्गत जारी नोटिस की मूल प्रति प्राप्त कर लेवें।

कर्जदारों का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक :-24.10.2026 स्थान :जयपुर (राज.) **प्राधिकृत अधिकारी (भारतीय स्टेट बैंक)**

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः **yuvrajsinghh@gmail.com** पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ/JPC/D-009/2006-08**